भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या - 180

(जिसका उत्तर मंगलवार, 15 दिसंबर, 2015 को दिया गया)

<u>कारपोरेट घरानों से संबंधित लंबित मुकदमे</u>

***180. श्री विवेक गुप्ता :**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को यह जानकारी है कि देश में बड़ी संख्या में कारपोरेट घरानों के मुकदमे लंबित हैं;

(ख) कंपनी लॉ बोर्ड, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड, आधिकारिक परिसमापक के समक्ष लंबित मुकदमों सहित न्यायालयों में लंबित कारपोरेट घरानों से संबंधित मुकदमों का ब्यौरा क्या है तथा पांच, दस और बीस से अधिक वर्षों से लंबित कारपोरेट घरानों से संबंधित मुकदमों का क्रमश: अलग संख्या दर्शाते हुए तत्संबंधी राज्य-वार, ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में लंबित कारपोरेट घरानों से संबंधित मुकदमों के निपटान में तेजी लाए जाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण को गठित किए जाने के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है और यह कब तक कार्य करना आरंभ कर देगा?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

राज्य सभा में दिनांक 15 दिसंबर, 2015 को कारपोरेट घरानों से संबंधित लंबित मुकदमों संबंधी तारांकित प्रश्न संख्या 180 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): जी, हां।

(ख): कंपनी विधि बोर्ड, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड, शासकीय समापक कार्यालय में लंबित मामलों सहित कारपोरेट घरानों से संबंधित लंबित मुकदमों की कुल संख्या और 5, 10 एवं 20 वर्षों से अधिक समय से लंबित कारपोरेट घरानों से संबंधित मुकदमों का राज्य-वार/संघ राज्य-वार विवरण इस प्रकार है :-

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	5 वर्ष से अधिक किंतु 10 वर्ष से कम	10 वर्ष से अधिक किंतु 20 वर्ष से कम	10 वर्ष से अधिक	कुल
1.	महाराष्ट्र	131	60	10	201
2.	गुजरात	183	253	109	545
3.	मध्य प्रदेश	24	32	04	60
4.	राजस्थान	31	46	18	95
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0
6.	पुदुचेरी	22	1	0	23
7.	दिल्ली और हरियाणा	164	180	18	362
8.	उत्तर प्रदेश	36	21	4	61
9.	हिमाचल प्रदेश	3	2	0	5
10.	पंजाब (चंडीगढ़ सहित)	79	29	1	109
11.	उत्तराखण्ड	0	0	0	0
12.	जम्मू एवं कश्मीर	0	0	0	0
13.	आन्ध्र प्रदेश	354	262	69	685
14.	कर्नाटक	130	74	49	253
15.	बिहार	14	15	6	35
16.	गोवा, दमन और दीव	63	1	0	64
17.	झारखण्ड	4	7	3	14
18.	केरल	52	84	37	173
19.	पश्चिम बंगाल	67	162	212	441
20.	उड़ीसा	1	2	0	3
21.	सिक्किम	0	0	0	0
22.	तमिलनाडु	170	157	45	372
23.	उत्तर पूर्व क्षेत्र (असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंण्ड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश)	2	2	1	5
24.	दादर एवं नगर हवेली	1	0	0	1
	योग	**1531**	**1390**	**586**	**3507**

.....2/-

(ग): कारपोरेट घरानों से संबंधित मुकदमों को तेजी से निपटाने के लिए पूर्व कंपनी अधिनियम, 1956 के स्थान पर कंपनी अधिनियम, 2013 बनाया गया है इसके प्रावधानों को चरणबद्ध आधार पर अधिसूचित किया जा रहा है। यह उल्लेख करना उचित है कि नए अधिनियम में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के गठन, अपराधों की तेजी से सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों, मध्यस्थता एवं समझौता पैनलों का गठन करना आदि जैसे विभिन्न सांविधिक प्रावधान किए गए हैं।

(घ): मंत्रालय ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के न्यायिक सदस्यों के 18 पदों तथा तकनीकी सदस्यों के 10 पदों एवं राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण के तकनीकी सदस्यों के 2 पदों को भरने संबंधी विज्ञापन दिया है और इन सदस्यों के चयन की प्रक्रिया चल रही है, इन निकायों का कार्यसंचालन आगामी वित्तीय वर्ष में आरंभ होने की संभावना है।

*****